Dainik Bhaskar Edition Delhi
18.4.2017 Page 9
Height 7.05cm Width 25.81 cm

अब पाती लिखने से पहले मंदिर में पंडित देखेंगे आधार में दर्ज युवक और युवती की उम्र

श्रीनाथ दांगी । राजगढ़

बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने आधार को 'आधार' बनाया है। अब राजगढ़ जिले में पाती (लगुन) लिखने से पहले मंदिर में पंडित आयु प्रमाण पत्र के साथ ही आधार व वोटर कार्ड देखेंगे। अगर उसमें उम्र कम होगी तो पंडित पाती नहीं लिखेंगे। प्रशासन ने सिद्धपीठ मां जालपा मंदिर पर ट्रस्ट की बैठक की। जिसमें पंडितों को नाबालिगों की पाती न लिखने के निर्देश दिए ।

प्रशासन ने सिद्धपीठ मां जालपा मंदिर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया फैसला

आस्था का नाम है पाती: जैसे लग्न से शादी होती है उसी तरह क्षेत्र में पाती से विवाह प्रचलित हैं। पं. परमानंद शर्मा ग्रामीण क्षेत्र में जन्मपत्रिका बनवाने व लग्न निकालने का प्रचलन नहीं है। ऐसे में लोग देवालय की प्रतिमा को साक्षी मानकर विवाह के लिए पत्र तैयार करते हैं। जिसे बंद कर माताजी का सिंदूर, हरिद्रुआ, हल्की की गांठ, दो सुपारी, खुल्ले रुपए, बबूल, नीम की पती अंदर रखते हैं। जिसे पाती कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी-देवता को साक्षी मानते हुए किए जाने वाले सभी काज पूरे होते हैं। ताकि लग्न (मुहूर्त)नहीं होने पर किसी प्रकार की अनहोनी न हो। विवाह होने के बाद देवालय में माथा टेकर वर-वधु द्वारा इसे वापस सौंप दिया जाता है।

पाती लिखने से पहले पंडित उम्र का प्रमाण देखते हुए।

उम्र प्रमाण किया अनिवार्य

सिद्धपीठ मां जालपा मंदिर के आचार्य ताराचंद ने बताया कि माता (फसल कटाई के बाद आने वाला शादी का सीजन) के दौरान सौ से दो सौ पाती रोजाना लिखवाने लोग मंदिर में आते हैं। यह सिलसिला दो से तीन माह तक चलता है। इस बार बालिग का प्रमाण देख रहे हैं। इसलिए 10 से 20 ही पाती लिखी जा रही है।

मंदिरों में आधार और प्रमाण पत्र देखकर ही लिखी जा रही पाती

हमने बाल विवाह रोकने जालपा ट्रस्ट की बैठक में यह प्रयोग किया था। जो सफल हुआ, इसके बाद भैसवामाता, बटेरी माता सहित अन्य मंदिरों के लिए भी पंडितजी को नाबालिग के विवाह की पाती नहीं लिखने के लिए कहा है। अब यह आदेश जिलेभर के मंदिर में लागू किया जाएगा।
-तरुण पिथौड़े, कलेक्टर राजगढ़